



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 681]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 2016/आश्विन 5, 1938

No. 681]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 2016/ASVINA 5, 1938

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 919(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्द्वारा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, उप सलाहकार (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), ग्रुप 'क', पद भर्ती नियमों, 2015 के निम्नलिखित नियमों में संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, उप सलाहकार (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), ग्रुप 'क', पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाए।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, उप सलाहकार (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), ग्रुप 'क', पद भर्ती नियम, 2015 नियम 2 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

'पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा।'

3. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, उप सलाहकार (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), ग्रुप 'क', पद भर्ती नियम, 2015 की अनुसूची में,

- 1) कॉलम संख्या 4 के शीर्ष पर 'वेतन बैंड तथा ग्रेड-वेतन अथवा वेतनमान', के स्थान 'वेतन मैट्रिक्स में स्तर' प्रतिस्थापित होगा।
- 2) कॉलम संख्या 4 के अंतर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 'वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12' प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित होंगी।

- 3) कॉलम संख्या 11 के अंतर्गत उप-शीर्ष पदोन्नति के अंतर्गत 'वेतन बैंड-3, 15,600-39100/- रुपये ग्रेड वेतन 6600/- रुपये' के स्थान पर 'वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11' प्रतिस्थापित होगा।
- 4) कॉलम संख्या 11 के अंतर्गत उप-शीर्ष प्रतिनियुक्ति (अल्प-कालिक संविदा सहित)/समावेशन के पैरा (क) (ii) के अंतर्गत वर्तमान 'वेतन बैंड-3, 15600-39100 रुपये+ग्रेड वेतन 6600 रुपये' के स्थान पर 'वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11' प्रतिस्थापित होगा।

[फा. सं. ए-39022/34/2016-प्रशासन]

सत्यव्रत साहू, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल भर्ती नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को दिनांक 5 नवम्बर, 2015 के अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 846(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2016

G.S.R. 919(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Drinking Water and Sanitation, Deputy Adviser (Public Health Engineering), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2015, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Drinking Water and Sanitation, Deputy Adviser (Public Health Engineering), Group 'A' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. The Rule 2 of the Ministry of Drinking Water and Sanitation, Deputy Adviser (Public Health Engineering), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2015 to be read as follows:—

“Number of Post, Classification and LEVEL in the PAY MATRIX.—The number of said post, its classification and the LEVEL in the PAY MATRIX attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.”

3. In the SCHEDULE to the Ministry of Drinking Water and Sanitation, Deputy Adviser (Public Health Engineering), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2015,

- 1) under the heading of Column No. 4, for the “Pay band and grade pay or pay scale”, “LEVEL in the PAY MATRIX” shall be substituted;
- 2) under Column No. 4, for existing entries, the entries “LEVEL -12 in the PAY MATRIX” shall be substituted;
- 3) under Column No. 11, for existing “scale of Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs. 6600/-” under the sub-heading Promotion, the “LEVEL-11 in the PAY MATRIX” shall be substituted.
- 4) under Column No. 11, for existing “Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 6600/-” under the para (A)(ii) of the sub-heading Deputation (including short-term contract)/Absorption, the “LEVEL-11 in the PAY MATRIX” shall be substituted.

[F. No. 39022/34/2016-Admin.]

SATYABRATA SAHU, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal recruitment rules were published vide notification number G.S.R 846(E), dated 5th November, 2015 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) on 9th November, 2015

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 920(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्द्वारा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, सहायक सलाहकार (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), ग्रुप 'क', पद भर्ती नियमों, 2013 के निम्नलिखित नियमों में संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, सहायक सलाहकार (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), ग्रुप 'क', पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाए।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, सहायक सलाहकार (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), ग्रुप 'क', पद भर्ती नियम, 2013 के नियम 2 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

'पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा।'

3. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, सहायक सलाहकार (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी), ग्रुप 'क', पद भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची में,

- 1) कॉलम संख्या 4 के शीर्ष पर 'वेतन बैंड तथा ग्रेड-वेतन अथवा वेतनमान', के स्थान पर 'वेतन मैट्रिक्स में स्तर' प्रतिस्थापित होगा।
- 2) कॉलम संख्या 4 के अंतर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 'वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11' प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित होंगी।
- 3) कॉलम संख्या 11 के अंतर्गत उप-शीर्ष प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/समावेशन के पैरा (क) (ii) के अंतर्गत 'वेतनबैंड-3, 15,600-39100/- रुपये +ग्रेडवेतन 5400/- रुपये' के स्थान पर 'वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10' प्रतिस्थापित होगा।
- 4) कॉलम संख्या 11 के अंतर्गत उप-शीर्ष प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/समावेशन के पैरा (क) (iii) के अंतर्गत वर्तमान 'वेतनबैंड-2, 9300-34800 रुपये+ग्रेड वेतन 4800 रुपये' के स्थान पर 'वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8' प्रतिस्थापित होगा।

[एफ. सं. ए-39022/34/2016-प्रशासन]

सत्यव्रत साहू, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल भर्ती नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 12 फरवरी, 2014 को दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 के अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 84(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2016

G.S.R. 920(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Drinking Water and Sanitation, Assistant Adviser (Public Health Engineering), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2013, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) these rules may be called the Ministry of Drinking Water and Sanitation, Assistant Adviser (Public Health Engineering), Group ‘A’ Post Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. The Rule 2 of the Ministry of Drinking Water and Sanitation, Assistant Adviser (Public Health Engineering), Group ‘A’ Post Recruitment Rules, 2013 to be read as follows:-

“**Number of Post, Classification and LEVEL in the PAY MATRIX.**—The number of said post, its classification and the LEVEL in the PAY MATRIX attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.”

3. In the SCHEDULE to the Ministry of Drinking Water and Sanitation, Assistant Adviser (Public Health Engineering), Group ‘A’ Post Recruitment Rules, 2013,

- (1) under the heading of Column No. 4, for the “Pay band and grade pay or pay scale”, “LEVEL in the PAY MATRIX” shall be substituted;
- (2) under Column No. 4, for existing entries, the entries “LEVEL -11 in the PAY MATRIX” shall be substituted;
- (3) under Column No. 11, for existing “Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade of Pay Rs. 5400/-” under the para (A)(ii) of sub-heading Deputation (including short-term contract)/Absorption, the “LEVEL-10 in the PAY MATRIX” shall be substituted.
- (4) under Column No. 11, for existing “Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade of Pay Rs. 4800/” under the para (A)(iii) of sub-heading Deputation (including short-term contract)/Absorption, the “LEVEL-8 in the PAY MATRIX” shall be substituted

[F. No.A-39022/34/2016-Admin.]

SATYABRATA SAHU, Jt. Secy.

Foot Note :The Principal recruitment rules were published vide notification number G.S.R 84(E), dated 30th December, 2013 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) on 12th February, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 921(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्द्वारा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के बहु-कार्य स्टॉफ के भर्ती नियमों, 2012 के निम्नलिखित नियमों में संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, बहु-कार्य स्टॉफ, भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाए।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, बहु-कार्य स्टॉफ, भर्ती नियम, 2012 के नियम 2 को निम्नानुसार पढ़ा जाए:—

‘पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा।’

3. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, बहु-कार्य स्टाँफ, भर्ती नियम, 2012 की अनुसूची में,

- 1) कॉलम संख्या 4 के शीर्ष पर 'वेतन बैंड तथा ग्रेड-वेतन', के स्थान पर 'वेतन मैट्रिक्स में स्तर' प्रतिस्थापित होगा।
- 2) कॉलम संख्या 4 के अंतर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 'वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1' प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित होंगी।

[एफ. सं. ए-39022/34/2016-प्रशासन]

सत्यव्रत साहू, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल भर्ती नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 को दिनांक 5 दिसम्बर, 2012 के अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 304 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसके बाद दिनांक 30 अप्रैल, 2015 के अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 366(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2016

G.S.R. 921(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Drinking Water and Sanitation, Multi Tasking Staff, Recruitment Rules, 2012, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) these rules may be called the Ministry of Drinking Water and Sanitation, Multi Tasking Staff, Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. The Rule 2 of the Ministry of Drinking Water and Sanitation, Multi Tasking Staff, Recruitment Rules, 2012 to be read as follows:-

“Number of Post, Classification and LEVEL in the PAY MATRIX.—The number of posts, their classification and the LEVEL in the PAY MATRIX attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.”

3. In the SCHEDULE to the Ministry of Drinking Water and Sanitation, Multi Tasking Staff, Recruitment Rules, 2012,

(5) under the heading of Column No. 4, for the “Pay Band and Grade Pay”, “LEVEL in the PAY MATRIX” shall be substituted;

(6) under Column No. 4, for existing entries, the entries “LEVEL -1 in the PAY MATRIX” shall be substituted;

[F. No. 39022/34/2016-Admin.]

SATYABRATA SAHU, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal recruitment rules were published vide notification number G.S.R. 304, dated 5th December, 2012 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) on 15th December, 2012 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 366(E), dated 30th April, 2015.